संख्या-27/001/1059-24-27-3005-76-2022

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 06 नवम्बर, 2024**

विषयः इजरायवाद संख्या-43/2013 ब्रम्हदीन एण्ड सन्स बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-353/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/रामगंगा, दिनांक 01.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- फतेहपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, फतेहपुर अंतर्गत जरौली पोषक नहर के कि0मी0 0.085 से कि0मी0 0.600 तक ठेकेदार द्वारा कराये गये मिट्टी के कार्य का भुगतान कराये जाने के संबंध में इजरायवाद संख्या-43/2013 ब्रम्हदीन एण्ड सन्स बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों दिनांक 22.11.2022 एवं 23.12.2022 के अनुपालन के संबंध में धनराशि रूपये 4,58,841.00 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: इजरायवाद संख्या-43/2013 ब्रम्हदीन एण्ड सन्स बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों दिनांक 22.11.2022 एवं 23.12.2022 के अनुपालन के संबंध में धनराशि रूपये 4,58,841.00 (चार लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ इकतालिस रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 4,58,841.00 (चार लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ इकतालिस रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर।

(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) कोषाधिकारी, फतेहपुर।

(9) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, कानपुर।

(10) अधिशासी अभियन्ता, फतेहपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, फतेहपुर।

(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।